सत्यमेव जयते

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

*****

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
के तहत नियम पुस्तक
(जून, 2018 तक अद्यतित)

विषय सूची

1.	नियम पुस्तक 1 (संगठन का ब्यौरा, कार्य और दायित्व)
2.	नियम पुस्तक 2 (अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य)
3.	नियम पुस्तक 3 (नीति निर्धारण प्रक्रिया में अपनाई गई कार्यविधि)
4.	नियम पुस्तक 4 (कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानक)
5.	नियम पुस्तक 5 (कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, अनुदेश, नियम पुस्तक और अभिलेख)
6.	नियम पुस्तक 6 (दस्तावेजों का विवरण)
7.	नियम पुस्तक 7 (कार्यान्वयन की नीति के प्रतिपादन के संबंध में जनता द्वारा विचारार्थ या प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था का विवरण)
8.	नियम पुस्तक 8 (मंडलों, परिषद, समितियों और गठित अन्य निकायों का विवरण)
9.	नियम पुस्तक 9 (अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका)
10.	नियम पुस्तक 10 (प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक)
11.	नियम पुस्तक 11 (प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट)
12.	नियम पुस्तक 12 (सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन की पद्धति)
13.	नियम पुस्तक 13 (प्रदत्त रियायतों, परमिट या प्राधिकार का विवरण)
14.	नियम पुस्तक 14 (इलेक्ट्रोनिक स्वरूप में उपलब्ध सूचना)
15.	नियम पुस्तक 15 (सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण)
16.	नियम पुस्तक 16 (जन सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विवरण)

नियम पुस्तक 1

संगठन का विवरण, कार्य और दायित्व

(खंड 4(1)(बी)(i)

1. संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य

15-35 वर्ष की आयु समूह में आने वाले युवा भारत की कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत है । युवाओं का यह समूह देश की जनसंख्या का सर्वाधिक ऊर्जावान और कर्मठ समूह है और सर्वाधिक मूल्यवान मानव संसाधन है । इनके रचनात्मक और सृजनात्मक ऊर्जा का इष्टतम उपयोग करने के लिए यह मंत्रालय व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण के दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है अर्थात युवाओं के व्यक्तित्व का विकास करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्यकलापों में शामिल करना । चूंकि, युवाओं से संबंधित अधिकांश मुद्दों पर अन्य मंत्रालय/ विभाग जैसे शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण, स्वास्थ और परिवार कल्याण आदि कार्य करते हैं, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की भूमिका एक सहायक और प्रेरक एजेंट की है ।

खेलों को बढ़ावा देने का मुख्य उत्तरदायित्व विभिन्न स्वायत्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों का है । सरकार की भूमिका अवसंरचना तैयार करना और खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए क्षमता का निर्माण करना है । मंत्रालय की स्कीमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लक्षित हैं ।

2. विजन/मिशन

मिशन

हमारा विजन युवाओं को उनके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए अवसर प्रदान करना है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें और राष्ट्र निर्माण की विभिन्न कार्यकलापों में उनकी सहभागिता हो सके तथा खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें ।

मिशन

- देश में युवाओं और खेलों को बढ़ावा देने और विकास पर लक्षित नीतियां बनाना ।
- खेलों और समुदाय सेवाओं के माध्यम से युवाओं के व्यक्तित्व के समग्र विकास पर लक्षित नीतियां और कार्यक्रम बनाना और कार्यान्वित करना ।
- विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यकलापों में युवाओं की सहभागिता पर लक्षित नीतियां और कार्यक्रम बनाना और कार्यान्वित करना ।
- खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने पर लक्षित नीतियां और कार्यक्रम बनाना और कार्यान्वित करना ।

- प्रतिस्पर्धी खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तथा भारत को एशिया में खेलों में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने और विश्व को हमारी क्षमता से परिचित कराने के लिए तैयार देशज खेलों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाना और कार्यान्वित करना ।

3. इसकी स्थापना के लिए संक्षिप्त इतिहास और पृष्ठभूमि

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेल के आयोजन के समय 1982 में शुरू में खेल विभाग के रूप में स्थापित किया गया था । अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 के समारोह के दौरान इसका नाम बदलकर युवा कार्यक्रम और खेल विभाग कर दिया गया । 27 मई, 2000 को यह मंत्रालय बन गया ।

4. कार्य का आवंटन

मंत्रालय द्वारा निष्पादित विषय भारत सरकार के आदेश की द्वितीय अनुसूची (कार्य का आवंटन) नियम 1961 में निम्नानुसार है :-

- खेल नीति
- खेल-कूद
- खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष
- नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान
- भारतीय खेल प्राधिकरण
- भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल परिसंघों से संबंधित मामले
- विदेशों में टूर्नामेंटों में भारतीय खेल टीमों की भागीदारी और भारत में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विदेशी खेल टीमों की भागीदारी
- अर्जुन पुरस्कार सहित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार
- खेल छात्रवृत्ति
- अन्य देशों के साथ खिलाड़ियों, युवा शिष्टमंडलों, विशेषज्ञों और टीमों का आदान-प्रदान
- खेल अवसंरचना और इसके निर्माण और विकास के लिए वित्तीय सहायता
- कोचिंग, टूर्नामेंटों, उपकरणों आदि के लिए वित्तीय सहायता
- संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित खेल मामले
- युवा कार्यक्रम
- नेहरु युवा केन्द्र
- राष्ट्रीय सेवा योजना

- स्वैच्छिक युवा संगठन और उन्हें वित्तीय सहायता
- राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना
- राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक
- युवा कल्याणकारी कार्यकलाप, युवा महोत्सव, कार्य शिविर आदि
- लड़के-स्काउट और लड़कियां-गाइड
- युवा छात्रावास
- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार
- राष्ट्रीय अनुशासन स्कीम के अवशिष्ट कार्य
- उपर्युक्त विषयों में से किसी एक से संबंधित विभाग द्वारा स्थापित सभी संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त निकाय
- शारीरिक शिक्षा

5. सेवाओं का विवरण

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय निम्नलिखित विभिन्न स्कीमों के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करता है :

- युवा और किशोर, गैर-सरकारी संगठन/ स्वैच्छिक संगठन/संघ
- नेहरु युवा केन्द्र और इनसे संबंधित युवा क्लब/ महिला मंडल, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्वयंसेवक और इसके विभिन्न क्षेत्रीय के केन्द्र
- राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकारें
- खिलाड़ी, उनके कोच और सहायक कार्मिक
- भारतीय खेल प्राधिकरण (साई)
- भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए)
- राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
- राष्ट्रीय खेल परिसंघ/ राज्य खेल संघ/ निकाय/ अंतरराष्ट्रीय खेल निकाय
- केन्द्रीय/ राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय/ विभाग

6. मुख्यालय, संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय का डाक पता

मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में निम्नलिखित पते पर है :

शास्त्री भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001 स्वागत कक्ष गेट नं. 6 शास्त्री भवन ।

अधीनस्थ कार्यालय/ स्वायत्त संगठन

- भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम, नई दिल्ली, दूरभाष : 24363067
- महानिदेशक, नेहरु युवा केन्द्र संगठन, 4- जीवनदीप बिल्डिंग, भूतल, पार्लिमेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 दूरभाष: 11-23442801 इमेल : raja60@gov.in
- लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, शक्ति नगर, ग्वालियर-474002 (म.प्र.) श्री एल एन सरकार, रजिस्ट्रार, इमेल : registrartnnpc@gmail.com
- राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, भीमांथांगल, श्रीपेरंबदूर-602105 तमिलनाडु, दूरभाष : 04111-23274
- कार्यक्रम सलाहकार, एनएसएस, 507-बी, सी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली दूरभाष : 23384072 फैक्स : 23384513
- नाडा ए-ब्लॉक, सुजाता कैफ्टेरिया बिल्डिंग, प्रगति विहार हॉस्टल, लोधी रोड, नई दिल्ली-03
- एनडीटीएल जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-03

7. शिकायत समाधान तंत्र

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में सतर्कता और लोक शिकायत प्रकोष्ठ मंत्रालय के कार्यकरण पर जनता/ व्यक्तियों तथा यूजर और ग्राहकों से शिकायतें/ सुझाव प्राप्त करने के लिए सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करता है । मुख्य सतर्कता अधिकारी को उनके रोजमर्रा के कार्य में सहायता करने के लिए एक मुख्य सतर्कता अधिकारी और एक निदेशक हैं । मंत्रालय के प्रत्येक स्वायत्त संगठन और अधीनस्थ कार्यालय में सतर्कता और लोक शिकायतों के निपटान के लिए स्वतंत्र मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं ।

उक्त के अलावा अपनी शिकायत दर्ज कराने से पूर्व लोक शिकायत निदेशालय के निम्नलिखित अनुदेशों का पालन किया जाए ।

1. वैयक्तिक शिकायत के निपटान के लिए विभागीय माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

2. शिकायत टर्मिनल लाभों जैसे ग्रेजुएटी, जीपीएफ आदि से इतर सेवा मामलों से संबंधित नहीं होनी चाहिए ।

3. किसी भी प्रकार के सुझाव को शिकायत समझा जाएगा ।

<u>अधीनस्थ कार्यालय/ स्वायत्त संगठन</u>

1. सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम, नई दिल्ली, दूरभाष : 24353067, फैक्स : 24367849

2. महानिदेशक, नेहरु युवा केन्द्र संगठन, 4-जीवनदीप बिल्डिंग, भूतल, पार्लिमेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

3. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, शक्ति नगर, ग्वालियर-474002 (म.प्र.) श्री एल एन सरकार, रजिस्ट्रार

4. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, भीमांथांगल, श्रीपेरंबदूर-602105 तमिलनाडु, दूरभाष : 04111-23274 फैक्स : 04111-232705 इमेल : rgniyd@md3.vsnl.net.in

5. निदेशक (राष्ट्रीय सेवा योजना), 12/11, जाम नगर, नई दिल्ली दूरभाष : 23384513

6. नाडा ए-ब्लॉक, सुजाता कैफ्टेरिया बिल्डिंग, प्रगति विहार हॉस्टल, लोधी रोड, नई दिल्ली-03

7. एनडीटीएल जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-03

नियम पुस्तक 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

खण्ड 4(1)(बी)(ii)

अप्रैल, 2008 में मंत्रालय को दो विभागों में प्रत्येक विभाग को भारत सरकार के सचिव के प्रभाराधीन बांट दिया गया अर्थात युवा कार्यक्रम विभाग और खेल विभाग ।

मंत्रालय में 3 संयुक्त सचिव हैं । संयुक्त सचिव (युवा कार्यक्रम), युवा कार्यक्रम विभाग युवाओं और किशोरों, नेहरु युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और प्रशासन से संबंधित अन्य मामलों को देखते हैं ।

संयुक्त सचिव (खेल), खेल विभाग भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), विभिन्न राष्ट्रीय खेल परिसंघों से संबंधित कार्य देखते हैं ।

संयुक्त सचिव (विकास), खेल विभाग राष्ट्रमंडल खेल 2010 से संबंधित मामलों को देखते हैं । वे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई), राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) और राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) तथा खेल विकास मिशन निदेशालय से संबंधित अन्य खेल स्कीमों से संबंधित मामलों को देखते हैं ।

लेखा और लेखा परीक्षा से संबंधित कार्य इस मंत्रालय के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रभाराधीन है ।

इस समय मंत्रालय की संस्वीकृत स्टॉफ संख्या में निदेशक/ उप सचिव के 9 पद और अवर सचिव के 11 पद हैं ।

नियम पुस्तक 3

नीति निर्धारण प्रक्रिया में अपनाई गई कार्यविधि

खण्ड 4(1)(बी)(iii)

कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल के पैरा 150 के अनुसार इस मंत्रालय ने पत्र संख्या 1-11003/5/93-आईडब्ल्यूएस दिनांक 14.07.1995 द्वारा विभिन्न श्रेणियों के मामलों के अंतिम निपटान के स्तर के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं ।

नियम पुस्तक 4

कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानक

खण्ड 4(1)(बी)(iv)

मंत्रालय का यह प्रयास होगा कि विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों के तहत वित्तीय सहायता से संबंधित प्रस्तावों पर निर्धारित समय सीमा में विचार किया जाए और निपटान किया जाए ।

प्रस्तावों की प्राप्ति

- 3 दिन के भीतर पावती जारी करना
- पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर प्रस्ताव की पडताल पूरी करना
- पत्र की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर सहायता अनुदान और अन्य संबंधित समितियों पर विचार
- पत्र की प्राप्ति के 75 दिन के भीतर आईएफडी द्वारा विचार
- पत्र की प्राप्ति के 90 दिन के भीतर संस्वीकृति/ निरस्तीकरण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, जारी करना ।

लेखा और उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति

- आईएफडी द्वारा 30 दिन के भीतर विचार करना
- 45 दिन के भीतर मंजूरी आदेश जारी करना

श्योरिटी बांड/ पीएसआर की प्राप्ति

- प्रीस्टैंम्प्ड रिसीट/ श्योरिटी बांड की प्राप्ति की 15 दिन के भीतर निधि जारी करना

शिकायतों का निपटान

कार्मिक और लोक शिकायत विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानकों के तहत जन शिकायत प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों का निपटान किया जाता है :

- प्रार्थी को 3 दिन के भीतर पावती/ अंतरिम उत्तर जारी करना
- दो सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को शिकायत याचिका भेजना
- संबंधित विभाग/ संगठन/ व्यक्ति द्वारा स्थानांतरित/ भेजे गए मामलों का अंतिम निपटान : 60 दिन
- संसदीय प्रश्नों पर तथ्यात्मक सूचना जारी करना : 2 दिन

नेमी कार्यों का निपटान

पत्र को डायरी करना : 3 मिनट प्रति पत्र

पत्र प्रेषित करना : 3 मिनट प्रति पत्र

टंकण कार्य : प्रतिदिन 30 पृष्ठ

नियम पुस्तक 5

कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, अनुदेश, नियम पुस्तक और अभिलेख

खण्ड 4(1)(बी)(v)

1. केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल
2. मूल नियम और अनुषंगी नियम (एफआर एंड एसआर)
3. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम, 1965)
4. केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली, 1964
5. सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर)
6. वित्तीय नियमों का प्रत्यायोजन (डीएफआर)
7. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972
8. केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1944
9. केन्द्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमावली
10. केन्द्रीय सिविल सेवा अवकाश यात्रा रियायत नियमावली
11. केन्द्रीय सतर्कता आयोग नियम पुस्तक
12. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं के चयन की प्रक्रिया की संहिता
13. राष्ट्रीय खेल नीति, 2001
14. राष्ट्रीय युवा नीति, 2003
15. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978

नियम पुस्तक 6

दस्तावेजों का विवरण

खण्ड 4(1)(बी)(vi)

लागू नहीं होता ।

नियम पुस्तक 7

कार्यान्वयन की नीति के प्रतिपादन के संबंध में जनता द्वारा विचारार्थ या प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था का विवरण

खण्ड 4(1)(बी)(vii)

लागू नहीं होता ।

नियम पुस्तक 8

मंडलों, परिषद, समितियों और गठित अन्य निकायों का विवरण

खण्ड 4(1)(बी)(viii)

नियम पुस्तक 9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

खण्ड 4(1)(बी)(ix)

संबंधित सूचना http://yas.nic.in/contactus पर देखें ।

नियम पुस्तक 10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्‌वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

खण्ड 4(1)(बी)(x)

लागू नहीं होता ।

नियम पुस्तक 11

प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट

खण्ड 4(1)(बी)(xi)

नियम पुस्तक 12

सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन की पद्धति

खण्ड 4(1)(बी)(xii)

नियम पुस्तक 13

प्रदत्त रियायतों, परमिट या प्राधिकार का विवरण

खण्ड 4(1)(बी)(xiii)

लागू नहीं होता ।

नियम पुस्तक 14

इलेक्ट्रोनिक स्वरूप में उपलब्ध सूचना

खण्ड 4(1)(बी)(xiv)

- संगठनात्मक विवरण
- राष्ट्रीय नीति यथा राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 और राष्ट्रीय खेल नीति
- मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमें
- लिए गए मुख्य निर्णय और पहल
- राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम, राष्ट्रमंडल स्वयंसेवक, युवा और खेल प्रोटोकॉल तथा अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन के संबंध में मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय युवा और खेल कार्यक्रम
- विभिन्न स्कीमों के लाभार्थियों का ब्यौरा
- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं के चयन प्रक्रिया सहित युवा और खेल सेक्टर में पुरस्कार की स्कीमों का ब्यौरा
- मौजुदा और विगत के प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों का डाटाबेस
- सहायक संगठनों का विवरण
- 2001-2002 से एक लाख रु. से अधिक का अनुदान पाने वाले एनजीओ का ब्यौरा
- मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्कीमों और संगठनों के लिए बजट प्रावधान
- 2001-2002 से मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट
- नागरिक चार्टर
- युवा कार्यक्रमों पर जिला सलाहकार समिति की राष्ट्रव्यापी सूची
- मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के पते, दूरभाष नम्बर/ फैक्स नंबर/ इमेल पते की सूची
- टेंडर नोटिस
- मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से सपोर्टल नामक एक खेल पोर्टल तैयार किया गया है

नियम पुस्तक 15

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

खण्ड 4(1)(बी)(xv)

सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाएं

फैसिलिटेशन सेंटर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए यह केन्द्र गेट नम्बर 6, सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 पर स्थित है ।

पुस्तकालय

मंत्रालय में एक छोटा विभागीय पुस्तकालय है जिसमें खेलकूद, योग, शारीरिक शिक्षा, युवा कार्यक्रमों, साहित्य, कानून, नियमों आदि से संबंधित विषयों पर रोचक पुस्तकें हैं । इस समय इस पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों सहित 2703 पुस्तकें हैं । इसके अलावा, खेल और युवा मैगजीन जैसी अन्य महत्वपूर्ण अनेक पुस्तकें हैं । विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों की वार्षिक और अन्य रिपोर्टें तथा विडियो कैसेट और हजारों फोटोग्राफ हैं ।

वेबसाइट

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की सभी स्कीमों/ कार्यक्रमों की जानकारी के लिए http://www.yas.nic.in देखें

मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से सपोर्टल नामक एक खेल पोर्टल तैयार किया गया है

नियम पुस्तक 16

जन सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विवरण

खण्ड 4(1)(बी)(xvi)

सूचना को अद्यतित किया जा रहा है ।